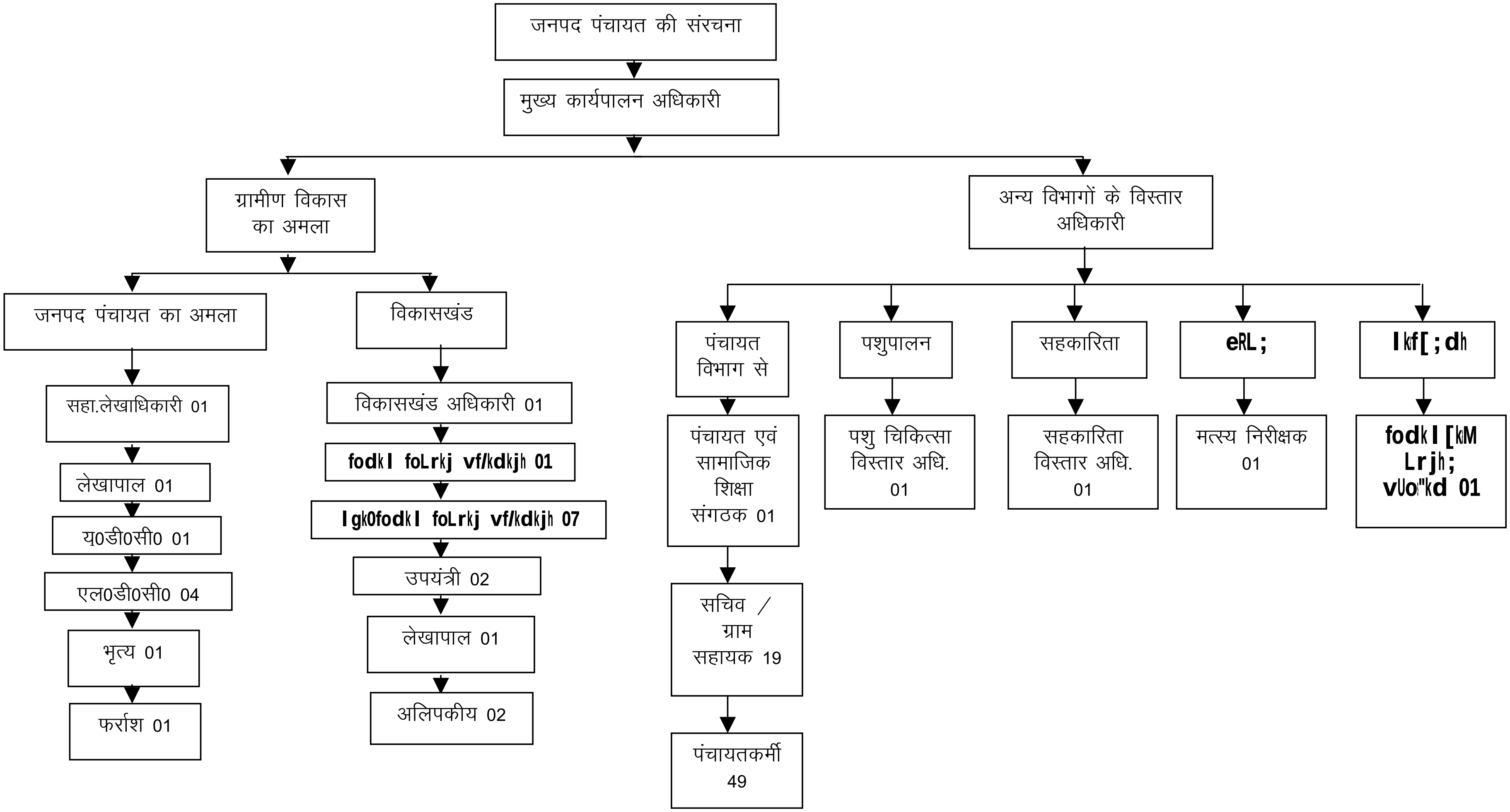
जनपद पंचायत की संरचना
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्रामीण विकास का अमला
अन्य विभागों के विस्तार अधिकारी
जनपद पंचायत का अमला
विकासखंड
सहा.लेखाधिकारी 01
लेखापाल 01
य0डी0सी0 01
एल0डी0सी0 04
भृत्य 01
फर्राश 01
विकासखंड अधिकारी 01
fodkl foLrkj vf/kdkjh 01
lgk0fodkl foLrkj vf/kdkjh 07
उपयंत्री 02
लेखापाल 01
अलिपकीय 02
पंचायत विभाग से
पंचायत एवं सामाजिक शिक्षा संगठक 01
सचिव / ग्राम सहायक 19
पंचायतकर्मी 49
पशुपालन
पशु चिकित्सा विस्तार अधि. 01
सहकारिता
सहकारिता विस्तार अधि. 01
eRL;
मत्स्य निरीक्षक 01
lkf[;dh
fodkl[kM Lrjh; vUo"kd 01

जनपद पंचायत कुण्डम
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 की धारा 1–बी में उल्लेखित
17 बिन्दुओं के संबंध में जानकारी

जनपद पंचायत कुंडम की स्थापना 02 अक्टूबर 1959 में हुई थी। मूलभूत जानकारी निम्नानुसार हैं ।

1– कुल ग्रामीण जनसंख्या (2001 की जनगणना से) –107771

2– अनुसूचित जाति – 7845

3– अनुसूचित जनजाति – 72298

4– कुल बी.पी.एल. परिवार – 13720

5– अनुसूचित जाति – 1754

6– अनुसूचित जनजाति – 9416

7– पिछडा वर्ग – 2429

8– अल्पसंख्यक – 239

9– ग्राम पंचायतों की संख्या –68

10– ग्रामों की संख्या – 199

11– वीरान गांव की संख्या – 8

ग्रामीण विकास विभाग में विकास खण्ड/स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु जनपद पंचायत विद्यमान है। जनपद पंचायत का कार्यालय प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, जो अन्य विभागों एवं ग्राम पंचायतों से समन्वय कर योजनाओं का सम्पादन कराते है। विभागाध्यक्ष स्तर पर विकास आयुक्त कार्यालय कार्यरत है।

जनपद पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास की निम्नांकित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है :–

1– स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

2– सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

3– इंदिरा आवास योजना

4– प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

5– समग्र स्वच्छता योजना

6– वृद्धावस्था/निराश्रित पेंशन योजना,

7– राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

8– विकंलाग छात्रवृत्ति /पेंशन

9– अन्य विभागों के आबंटन से ग्राम विकास कार्य योजना मण्डल सांसद / विधायक

10– ग्राम न्यायालय

11– मैटरनिटी बैनीफिट योजना

12– जन्म मृत्यु पंजीयन

13– मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

14– गोकुल ग्राम प्रकल्प

1— ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा ऐसे निकायों से संबंधित विषय जो कि अन्य विभागों को नही सौपे गये हो। का पालन करवाना।

2— योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

3— ऐसे समस्त सेवाओं से सम्बन्धित विषय जिसका विभाग से संबंध हो उदाहरणार्थ वेतनवृद्धि छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियॉ, भविष्य निधियाँ, जनपद पंचायत से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियमानुसार अनुशासत्मक कार्यवाही ।

4— ग्रामीण क्षेत्रों में आवास एवं रोजगार की सुविधाए मुहैया कराना। (शासन की लागू योजनाओं से)

5— ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करना। (शासन की लागू योजनाओं से)

6— ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करवाना।

7— विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकता के अनुसार समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करवाना।

8— जनपद पंचायत की सामान्य सभा एवं समितियों की बैठकों का आयोजन पंचायत राज अधिनियम 1993 की सहपठित धाराओं के अधीन की जाती है।

9— पंचायत राज अधिनियम 1993 की धाराओं का पालन करते हुऐ जनहित के कर्तव्यों का निर्वाहन।

<u>बिंदु क्रमांक(2) अधिकारी एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

जनपद पंचायत में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों के अधिकारों के संबंध में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है। तथा कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिये विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन के आदेश भी प्रसारित किये गये है। परिशिष्ट —अ संलग्न है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

जनपद पंचायत का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण

<u>विकास खण्ड अधिकारी</u>

जनपद पंचायत का समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विकास) के कर्तव्यो का निर्वाहन

विकास विस्तार अधिकारी

विकास के कार्यो हेतु सौपे गये समस्त कर्तव्यों का निर्वहन ।

सहायक विकास विस्तार अधिकारी

हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियांवयन एवं पर्यवेक्षण ।

उपयंत्री

निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन ।

पंचायत एवं सामाजिक शिक्षा संगठक

पंचायत एवं सामाजिक न्याय के कर्तव्यों का निर्वाहन ।

पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी

पशुओं के उपचार के कर्तव्यों का निर्वाहन ।

सहकारिता विस्तार अधिकारी

सहकारिता क्षेत्र के संबंधित कर्तव्यों का निर्वाहन ।

मत्स्य निरीक्षक

मत्स्य प्रक्षेत्र के दायित्व का निर्वाहन ।

विकास खण्ड स्तरीय अन्वेषक

सांख्यकी संबंधी कर्तव्यों का निर्वाहन ।

जनपद पंचायत कुण्डम के अंतर्गत कार्यरत लेखापाल एवं लिपिकों में निम्नानुसार कार्य विभाजन किया गया है।

नाम	कार्य का विवरण
श्री पी.एल.पटेल लेखापाल	से संबंधित समस्त कार्य, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, शिक्षा गारंटी योजना, साहूकारी लायसेंस, सांसद मद, विधायक मद, तालाब, बाजार, मेला, खनिज संपदा एवं समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य
श्री डी. एम. अग्रवाल प्रथम श्रेणी लिपिक	केश बुक का संधारण, वेतन देयक तैयार करना शिकायत, स्थानीय आडिट, निरीक्षण, भंडार शाखा प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, स्टेशनरी पंजी, सामान्य सभा, सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य निवाचन, सरपंच एवं जनपद सदस्य मानदेय, बजट, ग्राम न्यायालय व्यवस्था एवं समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
श्री आर.पी. कुशवाहा प्रथम श्रेणी लिपिक	स्थापना विकास से संबंधित समस्त कार्य, केशबुक का संधारण, बजट, आदिवासी विकास मद, हरिजन विशेषांश आदिवासी परियोजना, जनभागीदारी संबंधी कार्य, आंतरिक लेखा परीक्षण, राहत शाखा, मद 58 समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
श्री पी.के. तिवारी द्वितीय श्रेणी लिपिक	नियमित पेंशन एवं शिक्षा मध्यान्ह भोजन, अन्नपूर्णा योजना, जन संपर्क अनुदान, स्वेच्छा अनुदान मुद्रण कार्य, महालेखाकार का ऑडिट, शिक्षा समिति, संचार एवं संकर्म समिति।
श्री पी. आर. केशरवानी द्वितीय श्रेणी लिपिक	वन वृद्धि से समृद्धि, ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना, पानी रोको अभियान, एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना, वन समिति, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति, मातृत्व कल्याण, सभी शाखाओं का मुद्रण कार्य एवं समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
श्री आर.एन.पॉण्डेय द्वितीय श्रेणी लिपिक	अपने पूर्व कार्य विभाजन आदेश के साथ–साथ संपूर्ण रोजगार योजना–जिला स्तर, जनपद स्तर एवं माप पुस्तिकाओं का संधारण का भी कार्य संपादित करेंगे। संचार संकर्म समिति की बैठक आयोजन का दायित्व भी निर्वाहन करेंगे। 10 वां वित्त, 11 वां वित्त, ऑपरेशन ब्लेक बोड सतर्कता एवं निगरानी समिति, खद्यान्न परिवहन संबंधी कार्य, 11 सूत्रीय कायक्रम ग्रेन बैंके एवं समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य
श्री एस. के. पुषाम द्वितीय श्रेणी लिपिक	पंचायत शाखा, ग्रामीण सचिवालय, समाधान शिविर आंत्योदय अन्य येाजना, समग्र स्वच्छता अभियान, पंच–ज अभियान, ग्राम स्वराज व्यवस्था, वैज्ञानिक जागरूकता योजना, गोकुल ग्राम प्रकल्प, स्थानीय निर्वाचन एवं समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
श्री प्रमोद द्विवेदी द्वितीय श्रेणी लिपिक	गौशाला, गौवंश कार्यक्रम, हमारा–दफतर हमारा घर, लेखाशाखा के कार्यो में सहयोग करना एवं समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
श्री दिलीप कनौजिया द्वितीय श्रेणी लिपिक	डाक आवक–जावक, 20 सूत्रीय क्रियांवयन कार्यक्रम समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

श्री राजपूत – विकास विस्तार अधिकारी पूर्ववत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शाखा, ग्रामीण आवास ऋण सह अनुदान योजना गरीबी रेखा सर्वे कार्य एवं वित्त निगम से संबंधित ऋण योजना के कार्यो के संपादन करेंगे। साथ ही श्री राजपूत को सूचना के अधिकार भी मासिक जानकारी समय पर भेजने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिंदु क्रमांक (3) निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही

जनपद पंचायत में पदस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों के कार्यो के संबंध में निर्णय लेने का प्रमुख दायित्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी का है। अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। जनपद पंचायत कर्मचारियों के मामले में उन्हे लागू भर्ती नियम एवं पंचायत राज अधिनियम के साथ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश के तहत जवाबदेही होती है।

बिंदु क्रमांक (4) कार्यो के निर्वाह के संबंध में मापदण्ड

विभिन्न योजनाओं की मापदण्ड के अनुरूप कार्यो का निर्वाहन सुनिश्चित किया जाता है।

बिंदु क्रमांक (5) कार्य निष्पादन हेतु नियम, विनिमय, निर्देश

योजनाओं हेतु समय समय पर जारी दिशा–निर्देश, गाइडलाइन एवं राज्य शासन द्वारा नीतिगत निर्णय एवं जारी दिशा निर्देश के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रचलित वित्तीय एवं प्रशासकीय संहिताये यथा – मूल भूत नियम, वित्तीय संहितायें, कोषालय संहिता, वर्गीकरण अपील नियंत्रण तथा सेवा आचरण नियम जो कि शासकीय कर्मचारियों पर लागू है, एवं जनपद पंचायत में लागू नियम एवं नियमावली तथा पंचायत राज अधिनियम जो जनपद पंचायत से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू है के अनुरूप कार्य किये जाते है।

बिंदु क्रमांक (6) जनपद पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख

जनपद पंचायत में प्रमुख रूप से पदस्थापना, लेखा, एवं योजनाओं से संबंधित विभिन्न अभिलेख संधारित किये जाते है।

1. योजनाओं का वित्तीय एवं भैतिक रिकार्ड पृथक–पृथक शाखा स्तर पर रखा जाता है।
2. अभिलेखों का रोस्टर अनुरूप निरीक्षण किया जाता है।

बिंदु क्रमांक (7) लोक सदस्यों से नीतियों के विनिमय के संबंध में परामर्श करने की व्यवस्था

जनपद पंचायत के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कार्यो के लिऐ परामर्श एवं सुचारू संचालन हेतु सात समितियां गठित की गई है।

1— सामान्य प्रशासन समिति

2— कृषि समिति

3— शिक्षा समिति

4— संचार एवं संकर्म समिति

5— सहकारिता एवं उद्योग समिति

6— स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास समिति

7— वन समिति

प्रत्येक समिति का एक संभापति होता है। एवं पाँच कार्यकारी सदस्य होते है।

बिंदु क्रमांक (8) मंडल, परिषदों, समितियों में आम जनता की उपस्थिति, बैठकों की कार्यवाही विवरण की उपलब्धता

जनपद पंचायत में ग्रामीण क्षेत्रों से चुने हुए 20 सदस्यों की एक समिति होती है। इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त इस समिति में क्षेत्रीय विधायक तथा क्षेत्रांतर्गत आने वाली पंचायतों का पंचमांश यानी (14) सरपंच भी सदस्य होते है। जिनकी सदस्यता का निर्धारण लाट विधि से किया जाता है। जनपद पंचायत (सामान्य सभा) सदस्य सूची संलग्न है। (परिशिष्ट ब –2 संलग्न हैं ।)

जनपद पंचायत में सुचारू संचालन हेतु इनसे नियमित परामर्श एवं कार्यो का अनुमोदन लिया जाता है। सम्मेलनों के ब्यौरे आम जनता के लिए उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक (9) अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची   परिशिष्ट ब–1 संलग्न हैं ।

जनपद पंचायत में पदस्थ अधिकारियो / कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट स–1, स–2 पर संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक (10) अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला पारिश्रमिक एवं मुआवजे की प्रणाली।

जनपद पंचायत के अंतर्गत पदस्थ अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ को प्राप्त मासिक परिलब्धियों का विवरण परिशिष्ट स–1, स–2 पर संलग्न है। अधिकारियों / कर्मचारियों को शासन के दिशा निर्देशों के अनुसान क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है।

बिन्दु क्रमांक(11) बजट, आवंटन, योजनाओं का विवरण, योजनाओं पर व्यय का विवरण

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

इस योजना का उद्‌देश्य निर्धनों को गरीबी रेखा के उपर लाने के लिए स्वसहायता समूहों के रूप में संगठन, प्रशिक्षण,ऋण ,प्रोद्योगिकी आधरित संरचना निर्माण, विपणन के माध्यम से गरीबी रेखा से उपर लाने का कार्यक्रम

(वर्ष 2004–2005) निर्मित समूह –1476 रिवाल्विग फंड –176 समूहो को राषि 10.55 लाख आर्थिक गतिविधियो के कुल समूह –18 (विस्तृत विवरण कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है।)

(2) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

योजना का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना, खाद्यान्न सुरक्षा एवं पोषक स्तर में सुधार लाना ।

प्रतिवेदन (वर्ष 2004–2005)

एस.जी.आर.वाय. जनपद स्तर प्राप्त आवंटन 81.33 लाख व्यय 45.45 लाख ।

योजनातर्गत वर्ष में कुल स्वीकृत 20 कार्यो में से 03 कार्य पूर्ण किये गये उपलबधि 07 प्रतिशत रही ।

(3) इंदिरा आवास योजना

इस योजना का उदृदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुवा मजदूरो को आवास उपलब्ध कराना हैं ।

वर्ष 2004–2005 में कुल 122 हितग्राहियों को नवीन इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये ।

वर्ष 2004–2005 में कुल 61 हितग्रहियों को इंदिरा आवास उन्नयन के कार्य स्वीकृत किये गये । (विस्तृत विवरण कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है।)

(4) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

वह ग्रामीण परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं । एवं इंदिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त नही हुआ हैं । इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही हैं ।

वर्ष 2004–2005 इस योजना में 18 आवास स्वीकृत किये गये हैं । (विस्तृत विवरण कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है।)

(5) ग्यारहवॉ वित्त आयोग

वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्था को उनके क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता हेतु यथा प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल पूर्ति, सफाई व्यवस्था, एवं ग्रामों के आंतरिक मार्ग एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु प्राकलन के अनुसार 75 प्रतिशत राशि शासन द्वारा 25 प्रतिशत जनसहयोग से प्राप्त की गई हैं । कार्य किया जाना सुनिशचित हैं ।

वर्ष 2004–2005 तक कुल राशि 44.50 लाख प्राप्त हुई कुल 18 कार्य स्वीकृत हुये । (विस्तृत विवरण कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है।)

(6) मध्यांह भोजन

समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्वि हेतु लागू की गई है । इसके अंतर्गत भोजन पका कर छात्र–छात्राओं में वितरित किया जाता हैं। (विस्तृत विवरण कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है।)

(7) ग्राम न्यायलय

ग्राम स्तरीय 6 ग्राम न्यायलय , बघराजी, कुंडम, इमलई, चौरई, सूपावारा, पड़रिया का गठन किया गया हैं । वर्तमान में 5 ग्राम न्यायलय (बघराजी को छोड कर) संचालित हैं ।

(8) वृद्वावस्था/निराश्रित पेंशन योजना/राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वृद्वावस्था पेंशन को एकीकृत कर दिया गया हैं ।

पेंशन हेतु पात्रता 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्व 50 वर्ष से अधिक आयु की विधवा /परित्यागता महिलाऍ एवं 65 वर्ष या अधिक उम्र में निराश्रित वृद्वो को वृद्वावस्था योजना के तहत सहायता की पात्रता हैं ।

वर्ष 2004–2005 में वृद्वावस्था पेंशन के अंतर्गत 966 हितग्रहियों को पेंशन का लाभ दिया गया कुल आवंटन 23.89 लाख प्राप्त एवं व्यय हुआ ।

वर्ष 2004–2005 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1000 हितग्रीीयों को लाभंवित किया गया 20.00 लाख आवंटन प्राप्त एवं व्यय हुआ ।

(9) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाने से जिसकी कमाई से परिवार का अधिकांशतः गुजारा चलता हो तथा मुखिया सदस्य की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक या 65 वर्ष से कम हेा । मृत मुखिया के परिवार को सहायता राशि रूपये 10,000/– प्रदान की जाती है।

वर्ष 2004–2005 ने 101 व्यक्तिओं को लाभ दिया गया कुल आवंटन 1.10 लाख प्राप्त एवं व्यय हुआ। (विस्तृत विवरण कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है।)

(10) समग्र स्वच्छता योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो हेतु परिवारिक शौचालय का निर्माण, सुधार, महिलाओं के लिये शौचालय , शालाओं में स्वच्छता परिसर का निर्माण, शौचालय निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की दुकान खोलना शामिल हैं ।

वर्ष 2004–2005 में कुल 2992 पारिवारिक शौचालय निर्मिंत किये गये शालाओं में 24 एवं आंगनबाडी में 13 शौचालय निर्मित किये गये । (विस्तृत विवरण कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है।)

(11) गोकुल ग्राम प्रकल्प

शासन द्वारा क्षेत्रीय विधायक/सांसद की अनुशंसा पर एक विधान सभा क्षेत्र बरगी अंतर्गत जनपद पंचायत कुंडम में 3 गोकूल ग्राम – लौहकरी, सनकुही, ददरगवां का चयन किया गया वर्ष 2004–2005 प्रतिवेदन परिशिष्ट ध पर संलग्न हैं ।

(12) मेटरनिटी बेनिफिट योजना

गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले महिला हितग्रहियों के प्रथम एवं द्वितीय शिशु पर 500 रुपयें की आर्थिक सहायता मॉ एवं शिशु के पालन पोषण के लिये प्रदाय की जाती हैं ।

वर्ष 2004–2005 में 167 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। (विस्तृत विवरण कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है।)

बिन्दु कमांक(12) अनुदान संबंधी कार्यक्रमों के प्रवर्तन की रीति और आबंटित रकमों और ऐसे कार्यक्रमों के हितग्राहियों के विवरण ।

भिन्न–भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान की रीति भिन्न होती है। जो कि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशें में ही निहित हेाती है। अनुदान की पद्धति योजनाओं के दिशा निर्देश में उपलब्ध है। हितग्राहियों का विवरण जनपद पंचायत में उपलब्ध है।

बिंदू कमांक (13) छूट अनुज्ञा आदि की स्वीकृति

जनपद पंचायत इस संबंध में को कोई अधिकार नही है।

<u>बिंदू क्रमांक (14) उपलब्ध सूचना का विवरण एवं उसकी इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्धता ।</u>

हॉलाकि जनपद पंचायत में वर्तमान में कुछ कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किये जा रहे है। किन्तु इस हेतु जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में डाटा संग्रहण होकर भविष्य में उपयोग हो सके बनाये जाने हेतु जनपद पंचायत प्रयास करेगा। एवं इसको जनोपयोगी बनाया जावेगा।

<u>बिंदु क्रमांक (15) सूचना प्राप्त करने के लिये जन साधारण को उपलब्ध सुविधाये एवं पुस्तकालय एवं वाचनालय के कार्य के घंटे</u>

विभाग में वर्तमान में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नही है।

<u>बिंदु क्रमांक (16) विभाग के लिये नामांकित जन सूचना अधिकारी का विवरण</u>

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक 6 क 16–28/बाईस /स2/05 भोपाल

दिनॉक 31/08/2005 द्वारा (16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद राज्य शासन जारी की गई है।

संज्ञा/पदनाम तथा अन्य विशिष्टियाँ । परिशिष्ट द –1 संलग्न हैं ।

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक एफ–1–24/05/22/वी–4 भोपाल
दिनॉक 18/08/2005 द्वारा (16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद राज्य शासन जारी की गई है।
संज्ञा/पदनाम तथा अन्य विशिष्टियाँ । परिशिष्ट –द – 2 संलग्न हैं ।

(विस्तृत जानकारी कार्यालय में पृथक से उपलध है)

<u>बिंदु क्रमांक (17) ऐसी अन्य सूचनायें जो विहीत की जायें</u>

अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रतिवर्ष इसको अद्यतन किया जावेगा।

(विस्तृत जानकारी कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है)

परिशिष्ट – ध

क्र.	जनपद पंचायत	विधान सभा क्षेत्रका नाम	चयनित गोकूल ग्राम का नाम	शौचालय निर्माण	वर्मीकल्चर /नाडिप	हैंड पंप प्लेट फार्म	शासकीय भवनों की पुताई एवं मर.	बोरीबंधान /मेढ़ बंधान	कूप निर्माण	कुक्कुट /बकरी /सुकर पालन	तालाब एवं गहरीकरण	साक पिट	चबूतरा निर्माण	सड़क निर्माण	बायोगैस	कृषि यंत्र वितरण	घरेलू बागवानी वनीकरण	कल्चर वितरण	औषधी / सुगंधित फसल	आवास	अन्य गतिविधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कुंडम	बरगी	लौहकरी	156	6/30	12	6	1	—	—	—	1	3	300/1000	5	119	2100			2	
2	कुंडम	बरगी	ददरगवां	98	0	4	2	4	—	—	2	—					2100			1	
3	कुंडम	बरगी	सनकुही	94	0	4	1	1	—	—	—	—					2100			1	

जनपद पंचायत सामान्य सभा सदस्यों की सूची ।   परिशिष्ट ब –2

क्रमांक	जनपद पंचायत सदस्य	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	जाति	पूर्ण पता
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमति सोमबाई उइके	47	पॉचवीं	गौड़	मु. हरदुली कला
2	श्री अजय त्रिपाठी	34	मेट्रिक	ब्राम्हण	मु. बघराजी
3	श्रीमति देवकीबाई	35	आठवीं	गौड़	मु. हिनौता पो. सोनपुर
4	श्री पतिराम भवतेरी	65	मेट्रिक	गौड़	मु. पडरिया पो. खुख्खम
5	श्री आशाराम मसराम	48	आठवीं	गौड़	मु. नवरगवां पो. खुख्खम
6	श्रीमति राजकुमारी	30	दसवीं	गौड़	मु. गुरैया पो. धनवाही
7	श्रीमति मंगोबाई बागरी	28	आठवीं	बागरी	मु. देवरी पो. पिपरिया
8	श्रीमति गन्शीबाई कडोपा	40	सातवीं	गौड़	मु. पो. घुघरा
9	श्रीमति महन्तीबाई मार्को	39	आठवीं	गौड़	मु. करौंदी पो. कुंडम
10	श्रीमति भागवतीबाई झारिया	47	आठवीं	झारिया	मु. पो. बडखेरा
11	श्री कंधी सिंह बरकडे	31	बारहवीं	गौड़	मु. पो. टुरका
12	श्री दर्शन सिह पुषाम	35	आठवीं	गौड़	मु. करौंदी पो. कुंडम
13	श्री रवि महोबिया	23	बी.ए.	महोबिया	मु. पो. कुंडम
14	श्री भूरा सिंह कुलस्ते	38	दसवीं	गौड़	मु. महगवां पो. झिरिया
15	श्रीमति गंगोत्रीबाई आर्मो	31	सातवीं	गौड़	मु. सहदरा पो. चौरईकला
16	श्री फूलसिंह मरावी	28	सातवीं	गौड़	मु. कन्हरपुरा पो. चौरईकला
17	श्रीमति मिथलेशबाई	40	आठवीं	गौड़	मु. आमाटिट्हा पो. गौरी

18	श्री सुखलाल कुशराम	36	आठवीं	गौड़	मु. कोसमडोगरी पो. झिरमिला
19	श्री अशोक कुमार जैन	50	मेट्रिक	जैन	मु. पो. कुंडम
20	श्री मदन सिंह मरकाम	25	दसवीं	गौड़	मु. टिकरिया पो. सूपावारा

जनपद पंचायत कुंडम कर्मचारियों की सूची ।

						परिशिष्ट स–2
क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	भरे पद	रिक्त पद	अतिशेष	वेतनमान
1	सहायक लेखा अधिकारी	1	निरंक	1	–	1600–2720
2	लेखापाल	1	1	निरंक	–	1200–2040
3	उ.श्रे.लि.	1	1	निरंक	–	1150–1800
4	नि.व.लि.	4	5	निरंक	1	950–1550
5	भृत्य	2	1	1	–	725–900
6	फर्राश (सफााई कर्मी)	1	1	निरंक	–	1000 पारिश्रमिक पर

जनपद पंचायत का नाम – विकास खंड कार्यालय कुंडम

परिशिष्ट–स–2

क्रमांक	नाम	पदनाम	प्रथम नियुक्ति	वर्तमान पदस्थापना	वेतनमान	वेतन वृद्धि दिनांक	कुल वेतन	नगद भुगतान
1	श्री पी.एल. पटेल	लेखापाल	16/10/1969	जनपद पंचायत कुण्डम	1200–2040	1/2/05	8639	7835
2	श्री डी. एम. अग्रवाल	उ.व.लि	27/7/1988	ज.प. कुण्डम	1150–1800	1/1/05	6083	4323
3	श्री पी.आर. केशरवानी	नि.व.लि.	1/6/1988	ज.प. कुण्डम	950–1530	1/6/05	6199	5639
4	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	नि.व.लि.	1/6/1988	ज.प. कुण्डम	950–1530	1/6/05	6199	4639
5	श्री संतोष कुमार पोषाम	नि.व.लि.	1/6/1988	ज.प. कुण्डम	950–1530	22/1/05	5871	4826
6	श्री रामनरेश पाण्डेय	नि.व.लि.	2/6/1986	ज.प. कुण्डम	950–1530	19/5/05	5368	4895
7	श्री प्रमोद सिंह द्विवेदी	नि.व.लि.	1/8/2002	ज.प. कुण्डम	950–1530	1/8/05	4250	3859
8	श्री गेंद सिंह उठियाम	चपरासी	6/7/1988	ज.प. कुण्डम	725–900	6/7/05	3767	3221

dk;ky; tuin ipk;r dMe								
जनपद पंचायत /स्थापना /विकास में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन विवरण विकास/अधिकारियो/कर्मचारियों के पदस्थापना की जानकारी								
								परिशिष्ट स–1
क्रमांक	अधिकारियों /कर्मचारियों का नाम	पद	मूल वेतनमान	योग	शुद्ध भुगतान राशि	प्रथम नियुक्ति	विकासखंड में पदस्थी दिनॉक	वतन वृद्धि दिनॉक
1	श्रीमति सुनीता चौबे	मु.का.अधि.	7900	7900		13/11/91	25/7/05	जनवरी–06
2	श्री यू.एस. पाण्डे	उपयंत्री	9375	9375		3/9/80	30/7/04	सितम्बर–05
3	श्री व्ही. एस. वर्मा	उपयंत्री	8550	8550		11/11/84	7/5/99	जनवरी –06
4	श्री एस. के दीक्षित	ए.डी.ई.ओ.	6500	6500		21/11/83	18/9/01	फरवरी–06
5	श्री अरविंद श्रीवास्तव	ए.डी.ई.ओ.	6500	6500		30/11/83	26/10/02	फरवरी–06
6	श्री ए. एस. राजपूत	ए.डी.ई.ओ.	6625	6625		1/9/83	3/10/03	जनवरी–06
7	श्री पी. के. तिगाडे	ए.डी.ई.ओ.	4600	4600		1/9/83	1/9/93	सितम्बर–05
8	श्री आर. पी. कुशवाहा	सहा. ग्रेड–2	6125	6125		1/2/71	19/7/97	अप्रेल–06
9	श्री मो. निजामुद्दीन	वाहन चालक	4380	4380		5/5/83	1/3/87	जुलाई–06
10	भृत्य – पद रिक्त	–	–	–	–	–	–	–
11	चौकीदार – पद रिक्त	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट द – 1

क्रमांक	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	अपीली प्राधिकारी का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1	जनपद स्तर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

परिशिष्ट –द – 2

जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत